International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 5, Issue 2, April 2018 ||

भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार: वर्तमान प्रावधान, चुनौतियाँ एवं सुझाव

Dr. Sucheta Gupta

Lecturer, Department of Political Science, Government College Bibirani, (Alwar) Rajasthan, India

शोध सार: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव प्रणाली नागरिकों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक वैधता का आधार बनती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में चुनाव व्यवस्था की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार किए गए हैं। इनमें निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन *(EVM)* और वीवीपैट के उपयोग का विस्तार, प्रत्याशी के लिए चुनावी व्यय सीमा निर्धारित करना, मतदाता सूची का नियमित वैज्ञानिक अद्यतन, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की अनिवार्य घोषणा जैसे प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सुधारों ने चुनावों की विश्वसनीयता तथा मतदाताओं के विश्वास को मजबूत किया है।

फिर भी, मौजूदा चुनाव प्रणाली कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। राजनीति में काले धन का प्रभाव, नेताओं का आपराधिककरण, सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी समाचार एवं दुष्प्रचार का प्रसार, कुछ क्षेत्रों में कम मतदान प्रतिशत, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की कमी, दलबदल की समस्या, तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मुद्दे अभी भी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग, भाषणों में बढ़ती नफरत की भाषा, और डिजिटल प्रचार पर कमजोर नियंत्रण जैसी चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि चुनाव सुधारों में अभी भी कई कमियाँ बनी हुई हैं।

यह शोध भारत की चुनाव सुधार संबंधी मौजूदा व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए उन प्रभावी उपायों की पहचान करने पर केंद्रित है, जिनके माध्यम से भविष्य में चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार एवं लोकतांत्रिक बनाया जा सके। इसमें राज्य पोषित चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव, राजनीतिक दलों की फंडिंग में *100%* पारदर्शिता, सोशल मीडिया प्रचार के लिए कड़े नियम, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध, निर्वाचन आयोग को अधिक कानूनी अधिकार, हाशिए पर रहे समूहों के लिए मतदान को सुलभ बनाना, तथा ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग शामिल हो सकता है। भारत ने चुनाव सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति तो की है, लेकिन बदलते सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवेश के अनुरूप निरंतर व्यापक सुधार आवश्यक हैं, जिससे चुनाव प्रणाली अधिक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक बन सके।

मूल शब्द: चुनाव सुधार, निर्वाचन आयोग, पारदर्शिता, इवीएम-वीवीपैट, चुनावी व्यय सीमा, राजनीतिक वित्तपोषण, आपराधिककरण, मतदाता जागरूकता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिजिटल प्रचार।

I. परिचयात्मक

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव नागरिकों को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि चुनाव कितने पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से आयोजित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद *324* के तहत स्थापित निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

विगत दशकों में भारत की चुनावी प्रणाली में अनेक सुधार किए गए हैं, जिनका लक्ष्य चुनावों को अधिक आधुनिक, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। इवीएम और वीवीपैट का उपयोग, मतदाता सूची का

डिजिटलीकरण, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, चुनाव व्यय सीमा, और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने जैसे कदमों ने चुनाव प्रक्रिया में एक नई विश्वसनीयता और पारदर्शिता प्रदान की है।

इसके बावजूद, चुनावों के सामने कुछ गंभीर चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं—जैसे राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता की कमी, सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और दुष्प्रचार, कम मतदान प्रतिशत, और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएँ। बदलते समय और तकनीकी विकास के साथ-साथ चुनाव सुधारों की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत की चुनाव प्रणाली को और अधिक मजबूत, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास निरंतर बना रहे। इसलिए चुनाव सुधारों पर गहन अध्ययन, मौजूदा प्रावधानों का विश्लेषण, तथा भविष्य के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। यही इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

मतदान सम्बन्धी प्रावधान : भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का अर्थ है- शासन का संचालन देश के लोगों के द्वारा करना। चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव द्वारा ही विधायिका के सदस्यों का चयन होता है, जो देश की नीतियों के निर्धारण और कानूनों को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए जनता में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद *324* से *329* तक चुनाव आयोग की स्थापना तथा चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

चुनाव आयोग का कार्य चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर भारत में चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कार्य करें इसलिए उसे स्वायत्ता प्रदान की गई है। लेकिन संपूर्ण भारत क्षेत्र में चुनाव कराना, चुनाव आयोग के लिए गंभीर चुनौती है।

देश में चुनाव सुधार संबंधी अनेक प्रयास लोकतंत्र की सफलता में कारगर सिद्ध हुए है फिर भी चुनाव सुधार संबंधी प्रयास तभी सार्थक होंगे जब मतदाता जागरूक हो और अपने प्रतिनिधि को चुनते समय किसी प्रकार के दबाव और प्रलोभन में न आए, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सुशासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। चयन की यह प्रक्रिया ही चुनाव प्रक्रिया कहलाती है। भारत के संविधान और अन्य कायदे कानूनों के अंतर्गत इस चुनाव प्रक्रिया के सफल और सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं जिसमें सर्वाधिक आधारभूत कानून यह है कि देश के प्रत्येक *18* वर्ष के वयस्क व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है और यह राजनीतिक अधिकार उसका अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार है।

इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए उसे कई प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, वह किस व्यक्ति या राजनीतिक दल को अपना अमूल्य वोट देगा, इसकी उसको स्वतंत्रता है। देश के प्रत्येक वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाती है जिसे निर्वाचक नामावली की संज्ञा दी गई है। इस मतदाता सूची में *18* वर्ष के वयस्क व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर उसे अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का दावा कर सकेगा। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *325* में किया गया है।

संविधान प्रदत्त यह राजनीतिक समानता लोकतंत्र का प्राण है। उच्चतम न्यायालय ने आर·सी· पौड़वाल बनाम भारत संघ *(1994)* मामले में कहा है कि यह राजनीतिक समानता संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है और वह संविधान का आधारभूत तत्त्व है। इसका अभिप्राय यह है कि मतदान के मामले में सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा और किसी को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 5, Issue 2, April 2018 ||

II. संवैधानिक प्रावधान

संविधान लागू होने के समय संसद और विधान सभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 1988 में संविधान में संशोधन कर यह आयु घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी। लोकतंत्र का यह एक रचनात्मक कदम था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बढ़ती युवाओं की काफी संख्या को वोट का अधिकार मिल गया। वैसे भी यह अधिकार संविधान का ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करता है और भारत में जहाँ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कई तरह की असमानताएँ बनी हुई हैं। इस अधिकार के चलते भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारे और गरिमापूर्ण जीवन के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। केवल चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के कारण अयोग्य होने के कारण वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

इस महत्त्वपूर्ण प्रावधान के होते हुए भी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है यहाँ तक कि घोर अपराधी व्यक्ति चुनाव जीत कर संसद और विधान सभाओं में पहुँच रहे हैं और जब देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो वहाँ की हालत क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मतदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि यदि कोई वयस्क जेल में है, सजायाफ्ता है या जेल में निरुद्ध हैं उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन नामावली में है तो उसे एक ही स्थान पर वोट डालना चाहिए। यदि वह एक स्थान से अधिक स्थान पर चोट डालता है तो उसके दोनों स्थानों पर डाले वोट रद्द हो जाएंगे अर्थात् उसके वोट गिने ही नहीं जाएंगे। मतदाताओं के लिए यह जानना भी जरूरी है कि यदि व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा चित्तविकृति का घोषित किया जाता है तो उसे भी निर्वाचन नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे बोट का अधिकार नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट अथवा गैर-कानूनी कार्य के कारण वोट देने से अयोग्य ठहराया गया है तो उसका नाम अगर निर्वाचन नियमावली में हो तो भी उसका नाम फोरन निकाल दिया जाता है। यथा यदि कोई व्यक्ति रिश्वत के अपराध से दंडित है अथवा उसने सती प्रथा का अनुमोदन आदि किया है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर अथवा जेल में होने पर चुनाव लड़ने का अधिकार है?

इसके बारे में अगर हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 (5) देखें तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जेल में है या सजायाफ्ता है या पुलिस की वैध हिरासत में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्या वह ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ सकता है? उच्चतम के एक निर्णय आने के बाद संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 (5) में एक परंतुक जोड़ कर यह प्रावधान कर दिया कि यद्यपि वोट देने पर रोक लगी है परंतु जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में है, उसे चुनाव में खड़े होने की अनुमति होगी।

धारा 62(5) में संशोधन की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने 2004 में एक निर्णय में कहा था जब कोई व्यक्ति हिरासत में होने के कारण मतदान नहीं कर सकता तो वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति का निराकरण करने के लिए धारा 62 (5) में परंतुक जोड़ कर यह प्रावधान किया गया कि वोट का अधिकार न होने पर चुनाव लड़ा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से राजनीति में अपराधीकरण पर अकुंश लगाने के भरसक प्रयास किए हैं किंतु तत्कालीन सरकारों ने संसद के माध्यम से उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है- जैसे धारा 62(5) में परंतुक लाकर किया गया।

वर्ष 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य को यदि अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड दिया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द घोषित हो जाएगी। इसी प्रकार, लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसके अंतर्गत संसद सदस्य और राज्य विधान सभा सदस्य अपराधी घोषित होने पर भी अपील के निपटारे तक सदस्य बने रहते थे।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 5, Issue 2, April 2018 ||

उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को *16* जनवरी, *2013* को पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि वह चुने गए ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के बारे में विचार करें जिनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया हो या जिनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *173* के अंतर्गत जाँच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की हो या जिसने अधिनियम, *1951* की धारा *125*क के अंतर्गत गलत शपथ पत्र फाइल किया हो। उच्चतम न्यायालय के इस अनुरोध पर विचार कर विधि आयोग ने अपने *244*वें प्रतिवेदन में इस बारे में सिफारिशें की थीं।

उच्चतम न्यायालय ने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है और कृष्णामूर्ति बनाम शिवकुमार एवं अन्य *(2015)* के मामले में इस बात को दोहराया है कि राजनीति से अपराधीकरण तथा सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण आदर्श को अपनाने के लिए यह अपेक्षित है कि "नामांकन पत्र फाइल करते समय प्रत्याशियों को अपने संबंध में अपराधिक विवरण, विशेष रूप से घृणित अथवा गंभीर अपराधों अथवा भ्रष्टाचार या नैतिक पतन संबंधी अपराधिक विवरण देना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार की सूचना को दबाने या छिपाने से मतदाता वोट देने के लिए अपनी सही राय नहीं बना सकते हैं।" अगर मतदाता को अपने प्रत्याशी के बारे में सही सूचना ही नहीं है तो वह वोट कैसे सही प्रत्याशी को दे सकते हैं। इस तथ्य से हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आशा ही नहीं कर सकते हैं।

यदि अपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो उसका बहुत गलत संदेश जाता है। एक तो सभी और का कामकाज प्रभावित होता है और वह व्यवस्था में अपने भ्रष्ट कार्यों से सरकारी खजाने को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं बल्कि समाज की और भी भ्रष्ट करते हैं। लोग देखते हैं कि जब समाज में एक अपराधी राजनीतिज्ञ कर फल-फूल रहा है और अपनी दबंगदी से वह सफल है और साथ ही लूट खसीट कर देश को हानि पहुँचा रहा है तो सामान्यतथा लोग ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण कर अपराधी या भ्रष्ट बन जाते हैं और इसी कारण देश से भ्रष्टाचार और हिंसा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है।

वर्तमान सरकार चाहे साफ-सुथरी है फिर भी देश को एक भ्रष्ट वि में पहला स्थान मिला है। जब तक राजनीति से अपराधीकरण और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक देश तेजी से विकास कर ही नहीं सकता। विधि आयोग ने अपने *255*वें प्रतिवेदन में कई तरह के चुनाव सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अपराधिक मामलों में सुनवाई एक वर्ष में पूरा करने का भी उल्लेख है तथा यह भी कहा गया है कि नामांकन के साथ गलत शपथ-पत्र देने पर कम-से-कम *2* वर्ष के कारावास का दंड दिया जाए और इसे भ्रष्ट गतिविधि माना जाए और सदस्यता भी रद्द मानी जाए।

राजनीतिक दलों पर भी कई तरह के अंकुश लगाए जाने की सिफारिश की गई हैं विशेष रूप से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों पर किए जाने वाले खर्च के बारे में सही जानकारी देना शामिल है। देश में लोकतंत्र को सक्षम बनाने के लिए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए किंतु अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आजकल चुनाव जीतना ही सब कुछ हो गया है चाहे उसमें नैतिकता को ताक पर ही क्यों न रख देना पड़े।

ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफोर्मस द्वारा आयोजित 'चुनाव और राजनीतिक सुधारों पर विचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री ओ·पी· रावत ने यह बात कही थी। अतः राजनीतिक दलों को अपने आचार-व्यवहार में पारदर्शिता और जवाबदेही के तत्त्वों का समावेश करना होगा। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतना ज़रूरी समझा जाता है परंतु इसके लिए उन्हें उल्टे-सीधे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। मतदाताओं को चुनाव के समय पैसे, शराब या कुछ और चीजें देकर उनके बोट खरीदना अक्सर सुनने में आता है। इस तरह के कार्य को रिश्वत मानते हुए उसे भ्रष्टाचार माना जाना चाहिए।

राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए लेपटाप, टेलीविजन, मोबाइल, साड़ियाँ यहाँ तक कि मंगलसूत्र देने की पेशकश करते हैं। इस प्रकार के प्रलोभनों पर अंकुश लगना चाहिए क्योंकि जो राजनीतिक दल इस प्रकार के वायदे करते हैं, उसे पूरा तो सरकारी खजाने से ही करना होता है; इस प्रकार सरकार की योजनाऐं आदि प्रभावित होती हैं और देश के विकास की दिशा भी गड़बड़ा जाती है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 5, Issue 2, April 2018 ||

III. चुनाव सुधार की दिशा में किए गए प्रयास

भारत में चुनाव आयोग का कार्य लोक सभा, विधान सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। भारत में सीधे जनता संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनते हैं। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं इसलिए चुनाव में सुधार की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती रही है, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार है:-

1· 1974 में गठित तारकुंडे समिति की संस्तुतियाँ।

2· 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव।

3·1992 में टी· एन· शेषन की सिफारिशें।

4·1996 में जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम।

5·2003 में निर्वाचन एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन अधिनियम)।

6· 2002 में चुनाव सुधार पर न्यायपालिका की पहल आदि।

7· 2005 में न्यायमूर्ति आर·सी· लाहोटी की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय खंडपीठ का निर्णय।

निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। निश्चय ही चुनाव लोकतंत्र का भविष्य निश्चित करता है। चुनाव की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग केंद्र सरकार तथा उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न आयोगों द्वारा समय-समय पर अनेकों ऐसे प्रयास किए गए हैं, जो सराहनीय रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं

1· सबसे बड़ा और युगांतरकारी संशोधन मतदाताओं के सम्बंध में है। अभी तक मतदाता के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित थी। अब इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि देश के युवक शिक्षित और प्रबुद्ध हैं, और देश की राजनीतिक प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाना श्रेयस्कर होगा। इस संशोधन के आधार पर अनुमानतः 10 करोड़ से अधिक युवाओं ने 2014 के आम चुनावों में अपने मत का उपयोग किया था, जो एक साहसिक लोकतांत्रिक कदम हैं।

2·मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से अपना वोट दर्ज कराना।

3· अपराधी व्यक्तियों को चुनावों में उम्मीदवार नहीं बनाया जाना।

4·राज्य सभा और विधान परिषदों के सदस्यों के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कम-से-कम 10 निर्वाचक या 10 प्रतिशत निर्वाचक उनके नाम का प्रस्ताव करें। ऐसा इसलिए कहा गया कि केवल वही लोग उम्मीदवार के रूप में आ सके जो गंभीरता से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।

5· चुनाव आयोग के अधिकारों में वृद्धि कर देने से चुनाव आयोग अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हो गया है।

6· नए नियम के अनुसार राजनीतिक दलों के संबंध में ऐसी व्यवस्था होगी कि जी राजनीतिक दल समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं करते है उन्हें चुनाव आयोग पंजीकृत नहीं करेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त लिखित चुनाव संबंधी सुधारों से स्पष्ट होता है कि ये सुझ स्वागत योग्य हैं उनसे संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़, स्वच्छ एवं अनुशासनबद्ध बनेगी लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सुधार पर्याप्त या परिस्थिति के अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन चुनाव सुधारों के अलावा चुनाव सुधार के संबंध में कतिपय सुझाव निम्नलिखित हैं-

1· हमारे देश में चुनाव सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतदान किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसके वयस्क होते ही अपने आप मतदाता सूची में आ जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे इसके लिए आवश्यक है कि इंटरनेट से वोटिंग की सुविधा दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका गोपनीय कोड देकर इंटरनेट से वोटिंग करायी जाए।

2· मतदान के दिन मतदान का समय समाप्त होने के तत्काल बाद ही मतदान केंद्रों पर मतों की गणना का काम उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न किया जाए।

3·कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाएँ जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटे जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े तो

ऐसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।

4·प्रत्येक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करे इसके लिए जरूरी है कि बहुत छोटे-छोटे पोलिंग बूथ बनाए जाएँ। एक-एक हज़ार की जनसंख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाए ताकि लोगों को आवागमन पर ख़र्च न करना पड़े और उनके व्यापार एवं व्यवसायिक कार्य में बाधा न पहुँचे। बहुत कम समय में उन्हें अपने मताधिकार करने का अवसर मिल जाए।

5· चुनावों में उम्मीदवारों का चुनावी खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए क्योंकि सब उम्मीदवार समान मात्रा में धन खर्च नहीं कर पाते, जो उम्मीदवार 8-10 लाख रुपए खर्च करता है, वह चुनाव जीतने के बाद दुगुनी कमाई भी करना चाहता है। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि शासकीय खर्च से ही चुनाव संपन्न कराए जाए। सरकार द्वारा ही चुनाव साधन एवं सामग्री प्रदान की जाए और अति आधुनिक साधनों का प्रयोग चुनाव में किया जाए ताकि चुनाव में काले धन के अत्यधिक प्रयोग को रोका जा सके।

6· चुनाव आयोग को चुनाव के समय फर्जी वोटिंग रोकने तथा मतदान केंद्र पर कब्ज़ा करने से रोकने के लिए अत्यधिक सैन्य बल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि जनता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

7·हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का मूल अधिकार दिया गया है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत एक-सी है। चाहे वह व्यक्ति अशिक्षित हो, अर्द्धशिक्षित हो, अल्पशिक्षित हो एवं पूर्ण शिक्षित हो सभी के वोट की वेल्यू एक-सी है जो संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत उसकी शिक्षा और समझदारी के आधार पर होनी चाहिए।

8· निर्वाचन प्रणाली में सुधार को लेकर विरोध और उदासीनता की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस·वाई· कुरेशी का कहना है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक्शन होना आवश्यक है। आम सहमति मात्र इसका हल नहीं है।

9· जनता जिस प्रकार प्रत्याशी को चुनकर सरकार में भेजती है तो उसी प्रकार उन्हें चुने हुए व्यक्ति को वापिस बुलाने का चुनावी अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। जनता का कहना है, कि जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं और वह जिन वायदे, नीति, क्रियाकलाप और आश्वासनों से जनता का वोट प्राप्त करते हैं परंतु उस क्षेत्र विशेष की जनता उसके एक साल बाद किए गए कार्य से खुश नहीं हो तो चुने जाने के एक साल बाद उस क्षेत्र विशेष की जनता को उस जीते हुए प्रत्याशी को वापिस बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए परंतु यह अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जिन्होंने उसे वोट दिया है।

10· चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी सहमति जताई। है तथा कहा है कि आज चुनाव सुधार जल्दी शुरू किए जाएँ ताकि चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके और साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सके।

11· हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के पसंद का जन-प्रतिनिधि चुना जाए। इसके लिए व्यक्ति को उसके क्षेत्र के अनुसार जन-प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट दे और यदि उस क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को उस क्षेत्र विशेष में खड़े व्यक्ति से ज़्यादा वोट देते हैं। उसके वोट की संख्या नामांकन भरे हुए व्यक्तियों से अधिक आती है तो ऐसे जनता के व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाकर बिना निर्वाचक नामांकन पत्र भरे उसे चुना हुआ घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार प्रत्येक जन-प्रतिनिधि को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करें और उसे निःशुल्क अपनी वेबसाइट द्वारा व्यक्तिगत विवरण शासकीय खर्चे से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए।

12· चुनाव सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की व्यवस्था करे ताकि राजनीतिक अपराधीकरण से मुक्ति, खारिज करने का अधिकार और चुनाव में सरकारी धन के इस्तेमाल जैसे मुद्दे हल हो सकेंगे जिसके कारण भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकेंगे।

13· लोकपाल विधेयक के समान चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। चुनाव सुधार के लिए राइट टू रिकॉल प्रक्रिया को अपनाना श्रेयस्कर होगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में चुनाव सुधार संबंधी अनेक प्रयास लोकतंत्र की सफलता में कारगर सिद्ध हुए है फिर भी चुनाव सुधार संबंधी प्रयास तभी सार्थक होंगे जब मतदाता जागरूक हो और अपने प्रतिनिधि को चुनते समय किसी प्रकार के दबाव और प्रलोभन में न आए, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है। अंत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में यह कहना था कि धन्ना सेठों, दादाओं और राजनीतिज्ञों की साठ-गाँठ तोड़ने के उपाय किए जाने चाहिए तथा शोधकर्ता जो महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में भी विचार करके कानून बनाया जाना चाहिए। अतः इस दिशा में ठोस एवं कारगर उपाय की अपेक्षा है।

IV. निष्कर्ष

भारत की चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है। पिछले कई दशकों में किए गए चुनाव सुधारों ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से उन्नत और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इवीएम-वीवीपैट का प्रयोग, चुनाव व्यय सीमा, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, मतदाता सूची के डिजिटलीकरण, तथा निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने जैसे कदमों ने भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की है।

इसके बावजूद चुनौतियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। राजनीति में धनबल का दखल, आपराधिक तत्वों का बढ़ता प्रभाव, राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता की कमी, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का प्रसार, कम मतदान प्रतिशत और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव—ये सभी कारक चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करते रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान व्यापक और सतत चुनाव सुधारों के माध्यम से ही संभव है।

अतः आवश्यक है कि चुनाव आयोग को और अधिक कानूनी अधिकार दिए जाएँ, राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, दोषमुक्त और स्वच्छ उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिले, चुनावी प्रक्रियाओं में उन्नत तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाए, और मतदाता जागरूकता को मजबूत किया जाए। साथ ही डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट और कठोर नियम बनाए जाने चाहिए।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि भारत ने चुनाव सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़, न्यायसंगत एवं विश्वासपूर्ण बनाने के लिए निरंतर और व्यापक सुधार आवश्यक हैं। यदि सुझाए गए उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं, तो भारतीय चुनाव प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विकसित हो सकेगी।

संदर्भ

1. ओझा, विनयकुमार, भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था, मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012, पृ. 241
2. राय, डॉ. एम.पी., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2008, पृ. 358
3. Article Shared by Rashmi B, इंटरनेट पर चुनाव सुधार संबंधी लेख।
4. चुनाव सुधार पर Read Breaking News on Zee News, Hindi
5. गुप्ता उमेश, भारत में चुनाव सुधार और चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ संबंधी इंटरनेट पर आलेख, 2012
6. प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, नवंबर 2016, पृ. 1214
7. इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2017, पृ. 23
8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार